[16/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 4662]

परिशिष्ट

मान. विधायक - श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-4662 के (क) एवं (ख) की जानकारी

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (प्रधानमंत्री–कुसुम)

भारत सरकार ने कृषकों को सोलर सिंचाई पम्प अनुदान में प्रदान करने के लिए जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री–कुसुम योजना जारी की है जिसमें संयंत्र से अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत वितरण कम्पनी को विक्रय का भी विकल्प है।

1. इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक है:–

   (अ) 10,000 मेगावॉट क्षमता के विकेन्दीकृत ग्राउण्ट माउन्टेंड/ग्रिड संयोजित अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्र।

   (ब) 17.5 लाख स्टेण्डअलोन सौर ऊर्जा आधारित कृषि पम्पों की स्थापना।

   (स) 10 लाख ग्रिड संयोजित कृषि पम्पों का सौर ऊर्जा से संचालन।

2. **घटक (अ) –**

   (i) इसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक के विद्युत संयंत्र कृषक/कृषक के समूह/सहकारी संस्थान/पंचायत/फॉरमर प्रोड्युसर आर्गनाईजेशन/वॉटर यूजर एसोसिएशन द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

   (ii) उक्त संयंत्रों की स्थापना विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर किया जाना प्रस्तावित है।

   (iii) विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सबस्टेशन वार अधिशेष क्षमता अधिसूचित की जाएगी। अधिशेष क्षमता के अनुरूप अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाऐंगे।

   (iv) सबस्टेशन वार अधिशेष क्षमता के बराबर आवेदन आने पर अक्षय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाएगा।

   (v) सबस्टेशन वार अधिशेष क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा खुली निविदा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापनाकर्ता का चयन किया जाएगा।

   (vi) विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा संयंत्र स्थापनाकर्ता से पावर परचेज एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) इंगित किया जाएगा।

   (vii) कृषक/कृषक के समूह/सहकारी संस्थान/पंचायत/फॉरमर प्रड्युसर आर्गनाईजेशन/वॉटर यूजर एसोसिएशन द्वारा स्थापना हेतु पर्याप्त राशि न होने पर, किसी अन्य डेवलपर/सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से स्थापना कार्य कराया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में डेवलपर/सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा कृषकों को भूमि उपयोग का

किराया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष अथवा प्रति यूनिट बिजली उत्पादन प्रति एकड़ की दर से देय होगा।

(viii) उक्त संयंत्रों की स्थापना बंजर भूमि पर प्राथमिकता से किया जाना प्रस्तावित है, कृषि भूमि पर भी संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है।

3. **घटक (ब) –**

(i) इसके अंतर्गत कृषकों को स्टेण्डअलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ii) स्टेण्डअलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु योजना में प्रस्तावित वित्त सहायता इस प्रकार है:–

भारत सरकार का योगदान	म.प्र. शासन का योगदान	कृषक का अग्रिम योगदान	कृषण ऋण
30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत

(iii) इस घटक के अंतर्गत डीजल पम्पों के स्थान पर स्टेण्डअलोन सोलर पम्पों की स्थापना से सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है।

(iv) इस घटक के क्रियान्वयन हेतु स्थापनाकर्ता इकाई का चयन केन्द्रीयकृत टेण्डरिंग के माध्यम से किया जाएगा। अपितु हितग्राहियों का चयन एवं योजना क्रियान्वयन का कार्य राज्यों द्वारा किया जाएगा।

4. **घटक (स) –**

(i) इसके अंतर्गत वह कृषक लाभांवित होंगे जिनके पास पूर्व में विद्युत पम्प का कनेक्शन है। इस घटक के अंतर्गत विद्युत चलित पम्पों को सोलरीकृत किया जाएगा।

(ii) इस घटक के अंतर्गत वॉटर यूजर एसोसिएशन/कम्यूनिटी/क्लस्टर भी मान्य होंगे।

(iii) इस घटक में प्रस्तावित वित्त सहायता इस प्रकार है:–

भारत सरकार का योगदान	म.प्र. शासन का योगदान	कृषक का अग्रिम योगदान	कृषण ऋण
30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत

(iv) कृषकों द्वारा सोलर पैनलों से उत्पादित ऊर्जा का प्रथमतः उपयोग सिंचाई हेतु किया जाएगा, अतिशेष ऊर्जा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

(v) इस घटक का क्रियान्वयन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किया जाएगा।

(भुवनेश कुमार पटेल)
मुख्य अभियंता
म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.